



पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण

संख्या-प0नि0 30-34/2020 1070

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
(जहानाबाद, खगड़िया, मुंगेर, सहरसा,
बक्सर, पूर्वी चम्पारण, कटिहार, किशनगंज,
गोपालगंज, दरभंगा, भोजपुर, मधुबनी एवं सारण को छोड़कर)।

पटना, दिनांक- 26/2/21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।


प्रसंग:- आयोग के पत्रांक-122, दिनांक- 16.01.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों पर दिनांक-17.02.2021 से 24.02.2021 तक प्रपत्र-2 में आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना था, परन्तु आपके जिलों से अभी तक संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव आयोग को अप्राप्त है जिसे आयोग ने गंभीरतापूर्वक लिया है।

अतः अनुरोध है कि संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव प्रपत्र-2 में तैयार कर अविलम्ब आयोग से अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन


सचिव 26/02/2021
